

**मांग संख्या-41**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

100 सीटर नवीन पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास छाल, वि.ख. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद संख्या
1.	छात्रावास अधीक्षक	06	01
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना	04
3.	पूर्ण कालिक स्वीपर	कलेक्टर दर	01
	योग		06

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्यशीर्ष 2204**

**मद क्रमांक 2**

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किये जाने हेतु ₹ 832.20 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 8,32,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी।

**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 3 से 4**

जिला चिकित्सालयों के लिए भण्डार तथा कच्चा माल हेतु ₹ 7,500.00 लाख तथा दवाईयाँ हेतु ₹ 3,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,05,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 से 6**

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹18,700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,87,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2216**

**मद क्रमांक 7**

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यांश हेतु ₹ 5185.93 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 51,85,93,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्यशीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 8**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी/सामुदायिक/सार्वजनिक/एस्पीरेशनल शौचालय घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।







अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 2408

##### मद क्रमांक 38

राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु ₹26,600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,66,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 2505

##### मद क्रमांक 39

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 2801

##### मद क्रमांक 40

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना हेतु ₹ 727.32 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,27,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

##### मद क्रमांक 41

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनान्तर्गत राशि ₹ 12,975.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,29,75,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

##### मद क्रमांक 42

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी के लिए ₹59.66 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 59,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष-2851

##### मद क्रमांक 43

औद्योगिक इकाईयों को ब्याज भुगतान के लिए अनुदान दिये जाने बाबत ₹200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

##### मद क्रमांक 44

पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजनान्तर्गत स्थापित टसर केंद्रों हेतु राशि ₹70.07 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 70,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 2852

##### मद क्रमांक 45

औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापना हेतु लागत स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान दिये जाने बाबत ₹700.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹7,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 4202

##### मद क्रमांक 46

1. प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गोलापल्ली जिला सुकमा में भवन निर्माण हेतु ₹ 152.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. जिला जशपुर के ग्राम सलियाटोली में 250-250 सीटर बालक/बालिका छात्रावास भवन निर्माण हेतु ₹ 1457.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

3. जिला जशपुर के ग्राम पतराटोली में 50 सीटर प्री.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भवन निर्माण हेतु ₹ 152.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 47

टाटा टेक्नोलॉजीस, पुणे के सहयोग से 11 शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं (कांकेर, दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बगीचा, मानपुर, चारामा, अंतागढ़, नगरनार, ओड़गी, वाडूफनगर एवं मैनपाट) को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने एवं उनके उन्नयन हेतु ₹ 3,572.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्यशीर्ष 4215

#### मद क्रमांक 48

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹ 32504.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,25,04,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्यशीर्ष 4217

#### मद क्रमांक 49

अमृत मिशन अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹ 100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 50

अमृत मिशन अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹ 100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 5054

#### मद क्रमांक 51

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क तथा पुल निर्माण हेतु केन्द्रांश राशि ₹ 8369.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 83,69,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 52

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क तथा पुल निर्माण हेतु राज्यांश हेतु राशि ₹ 3,838.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 5275

#### मद क्रमांक 53

संचार क्रांति योजना हेतु ₹ 363.28 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,63,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।